कार्यालय – नगर पंचायत मेहसी, (पूर्वी चम्पारण)

पत्रांक......889.../ दिनांक....05/07/19

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मेहसी, पू0च0

S.O.7
882
10-9 सेवा में
श्री संजीव
14/9/19

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार, पटना।

विषय– निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1081/2016–17 का साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2009–10 से 2015–16 अवधि में आपके कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा अभिलेखों एवं पंजियों से संबंधित आपत्ति निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1081/2016–17 द्वारा लगायी गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1081/2016–17 का जवाब कार्यालय के द्वारा तैयार कर ली गई है एवं बोर्ड की सामान्य मासिक बैठक दिनांक 07.06.2019 के प्रस्ताव संख्या 08 के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः भवदीय को प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0– निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1081/2016–17 कि प्रश्न एवं उत्तर सहित एवं साक्ष्य कि छायाप्रति।

विश्वासभाजन
ह0–
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मेहसी, पू0च0

ज्ञापांक....889...../ दिनांक.05/07/2019

प्रतिलिपि– सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, नगर विकास एंव आवास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
05/07/19
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मेहसी, पू0च0

D:// New File EO

कार्यालय नगर पंचायत मेहसी पूर्वी चम्पारण अंतर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन का लंबित कंडिका 1081/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0स0	कंडिका स0	आप्ति का विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
01	1से 10 तक	प्रशतावना, प्रशासन	नहीं	
02	11	बजट प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन हाल के वर्षो से किया जा रहा है।	
03	12	सरकारी अनुदान	हाल के वर्षो से अलग अलग मद वार सहायक रोकड़ पंजी तैयार किया जा चूका है। साक्ष्य संलग्न।	
04	13	वितिय संव्यवहार	अनुपालन की अवश्यक्ता नहीं है।	
05	14	रोकड़ वही मे त्रृुटि	सुझातमक भविषय में धयान दिया जा रहा है।	
06	15	वार्षिक लेखा का संधारण नहीं	सुझातमक भविषय में धयान दिया जा रहा है।	
07	16 (क)(ख)(ग)	बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं	अनुपालन की जा रही है।	
08	17	समान्य अभियक्ति	अनुपालन योग्य नही है।	
भाग– 2				
9	1	अपूर्ण योजनाओं पर निष्फल व्यय रू 34.00 लाख	दिनांक 09.01.2019 के सशक्त स्थायी समिति के बैठक में प्रस्ताव स0 14 में लिये गये निणर्य के आलोक में अपूर्ण योजनाओं पर कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संलग्न।	
10	2	कार्यालय द्वारा अनियमित क्रय 11.36 लाख	कार्यालय नवसृजित होने एवं जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ। भविष्य में सुक्षावात्मक एवं नियमानुसार कार्य किया जाऐगा।	
11	3	बिना एम एंड एन फॉर्म में सर्टिफिकेट प्राप्त किए समवेदक को दुलाई चार्ज का भुगतान रू 41.45 लााख	कार्यालय की स्थापना 2009–10 में हुआ है। जानकारी के आभाव में ऐसा हुआ। अंकेक्षण के पश्चात् इस नियम का पालन करते हुए भुगतान की जा रही है। साक्ष्य संलग्न है।	
12	4	सैरातों की बंदोवस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं होने से राजस्व की हानि रू 0.43 लाख	चूकि पूर्व में किसी भी संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं थी क्योकि यह कार्यालय नवसृजित है जिसके कारण यह हानि हुई।	
13	5	सैरातो का बंदोबस्ती या विभागीय वसूली नहीं होने के कारण हानि रू 1.39 लाख	चूकि कार्यालय नवसृजित होने के कारण इसकी जानकारी नही थी जिसके कारण ये हानि हुई है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। भविष्य में इस नियम का अनुपालन किया जाएगा।	
14	6	संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं रू 17.71 लाख	अभियंताओं के प्रतिवेदन के आधार पर विलम्ब शूल्क वापस किया गया है। साक्ष्य संलग्न है।	
15	7	योजनाओं से विभिन्न राजस्व शीर्ष मद में कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में नहीं जमा किया जाना रू 26.27 लाख	वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक नगर पंचायत मेहसी में चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं में की गई कटौति (रॉयलिटि एवं लेबरशेष) की राशि को संबंधित विभाग में जमा करा दिया गया है। साक्ष्य संलग्न है।	
16	8	संचार मीनारों पर रू 10.46 लाख का बकाया	संचार मीनार ऐजन्सी को बकाया भुगतान हेतु नोटिस किया गया था। संचार ऐजन्सी द्वारा पत्रचार कर बताया गया है कि भुगतान से संबंधित मामला पटना उच्च न्यालय में विचारधीन है। साक्ष्य संलग्न है।	
17	9	राशि का अवरोधन रू 163.16 लाख	1. मो0–10816000.00 रू0 मात्र जो प्रशासनिक भवन से संबंधित था का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें मो0– 3633888.00 रू0 मात्र खर्च	

कार्यालय नगर पंचायत मेहसी पूर्वी चम्पारण अंतर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन का लंबित कंडिका 1081/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन

			भी कर दिया गया है। 2. नागरिक सुविधा मद में प्राप्त राशि को विभाग को वापस करने की प्रक्रिया की जा रही है। 3. एस0जे0एस0आर0वाई0 की राशि को बुडा निदेशक के नाम से राशि वापस कर दी गई है। साक्ष्य संलग्न है।	
भाग– 3				
18	01	योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना	अनुपालन किया जा रहा है।	
19	02	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियमावली का विनियमन नहीं	इस निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन हेतु डी पी आर तैयार कर स्वीकृति हेतु न0 वि0 आ0 वि को भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस निकाय में इसे लागु किया गया है। साक्ष्य संलग्न है।	
20	03	ट्रेड लाइसेंस निर्गत नहीं	वितिय वर्ष 2016–17 से अनुपालन किया जा रहा है।	
21	04	नक्सा स्वीकृति में भवन उप–विधि का पालन नहीं किया जाना	वितिय वर्ष 2016–17 से अनुपालन किया जा रहा है।	
22	05	नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं	अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है।	
23	06	विज्ञापन शुल्क की पंजी संधारित नहीं	अनुपालन कर लिया गया है। साक्ष्य संलग्न है।	
24	07	सम्पत्ति कर का अधिरोपण /वसूली नहीं	वितिय वर्ष 2016–17 से नगर पंचायत मेहसी में सम्पत्ति कर का अधिरोपण कर लिया गया है जिसकी सूचना विभाग को दी जा चूकि है। साथ ही साथ वितीय वर्ष 2016– 17 से सम्पत्ति कर वसूली की जा रही है। साक्ष्य संलग्न है।	
25	08	परिसम्पति पंजी का संधारण नहीं	इस कार्यालय द्वारा परिसम्पति की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी को पत्र निर्गत किया गया है। जिसका प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। परिसम्पति की विवरणी प्राप्त होने के पश्चात सर्वे करा परिसम्पति पंजी का संधारण किया जायेगा।	
26	09	स्टॉक पंजी दैनिक वसूली पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़ बही संधारण नहीं किया जाना	कंडिका 09 से संबंधित सभी रोकड़ बही का संधारण किया गया है।	
27	10	वितीय विवरण तथा तुलन–पत्र	इस संबंध में कार्य किया जा रहा है।	

05/07/19

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मेहसी, पू0च0